

>

Title: Discussion on the motion for consideration of the Essential Commodities (Amendment) Bill, 2010 (Bill Passed).

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up Item No. 12, Prof. K.V. Thomas.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (PROF. K.V. THOMAS): Sir, on behalf of my senior colleague, Shri Sharad Pawar, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Essential Commodities Act, 1955, be taken into consideration."

The Essential Commodities Act, 1955 was last amended in December, 2009 by the Essential Commodities (Amendment and Validation) Act, 2009 to remove the ambiguity as regards the factors that should be taken into consideration by the Central Government for the determination of the price of levy sugar and to validate actions taken under the principal Act.

Sub-section (3C) of section 3 of the principal Act dealing with determination of price of levy sugar was amended in two parts. In the first part vide clause (a) of Section 2 of the Amendment Act, 2009, a new Explanation II was inserted under sub-section (3C) with retrospective effect from 1st October, 1974 to remove any doubt regarding the meaning of expressions or cost components mentioned therein.

In the second part the said sub-section 3C and the Explanations thereunder, including the newly inserted Explanation-II, was substituted by a new sub-section 3C on and from 1st October, 2009 to introduce the concept of "fair and remunerative price of sugarcane" payable to the growers of sugarcane by replacing the earlier expression "minimum price of sugarcane", which did not contain provision for margin on account of risk and profit to farmers.

Explanation-II inserted retrospectively with effect from 1.10.1974 was not retained in the substituted sub-section 3C which came into force on 1.10.2009 since through the amendments to the Sugarcane (Control) Order 1966, the provision regarding payment of additional price was deleted and a new clause 3B was inserted, which put the liability on the State Government regarding the payment of difference between the "fair and remunerative price of sugarcane" fixed by the Central Government and "State Advised Price of sugarcane" (if fixed higher than the fair and remunerative price) fixed by the State Government concerned. Since this provision had given rise to certain misgivings, it was agreed to delete the said clause 3B altogether. The assurance given in this regard was implemented by deleting the said clause by amending the Sugarcane (Control) Order 1966 through a notification issued on 7th January, 2010. Consequent to the deletion of said clause 3B from the Sugarcane (Control) Order 1966, the necessity for having an Explanation on the lines of said Explanation-II under the newly substituted sub-section 3C of section 3 of the principal Act has been felt, since the absence of such an explanation may again lead to ambiguity in law, which the Essential Commodities (Amendment and Validation) Act 2009 had sought to solve. Hence the present Amendment Bill to insert a new explanation under sub-section 3C of section 3 of the principal Act with retrospective effect from 1st October, 2009. Ld. Attorney General for India has advised for making this amendment. The proposed amendment to the Essential Commodities Act, 1955 in no way will affect or disturb the status regarding the powers of the State Governments to announce the State Advised Price of sugarcane.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Essential Commodities Act, 1955, be taken into consideration."

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I rise to support the Essential Commodities (Amendment) Bill, 2010.

We are all aware that both the sugarcane growers and the sugar industry are needed for supply of sugar to the consumer at an affordable price. The Essential Commodities Act is aimed at ensuring easy availability of essential commodities to the consumer, to protect the interest of the consumer, and further to regulate it, control it, and to make a good pricing mechanism so that the consumer would not suffer. It is a small amendment, as has already been stated by the Minister concerned while piloting the Bill.

This legislative document, namely the Essential Commodities (Amendment) Bill, 2010, seeks to insert a further explanation of Sub-section 3C of Section 3 whereby the concerned State Government will have more liberty to add extra prices to the

sugarcane. This Bill is to clarify beyond doubt the intention of the legislature that none of the expressions used therein with respect to cost component of levy sugar shall include any price paid or payable above fair and remunerative price under any order or any enactment of any State Government and any price agreed to between the producer and the grower of a sugarcane growers cooperative society.

Actually during the discussion on the Essential Commodities (Amendment and Validation) Bill, 2009, the concerned Minister has assured the House that in the course of time, the Ministry will delete Rule 3(b) of the Sugarcane Control Order, 1966. Now, the Central Government has fixed the Fair and Remunerative Price of sugarcane which includes benefit to the farmers on account of margin for risks and profit upfront.

We are all aware that the FRP of sugarcane now fixed is more than 50 per cent higher than the price earlier fixed under the erstwhile Statutory Mechanism (SMP) that was in vogue. Actual price of sugarcane taken during 2009-10 was Rs.200 per quintal or more. The price of sugarcane was even up to Rs.260 per quintal in some areas, which was far ahead not only of FRP of Rs.129.84 per quintal for 9.5 per cent recovery but also SAP announced by the States.

The Explanation in this Bill has been given in detail - 'For the removal of doubts, it is hereby declared that the expressions "minimum price" referred to in clause (a), "manufacturing cost of sugar" referred to in clause (a) and "reasonable return on the capital employed" referred to in clause (d), it excludes the additional price of sugarcane paid or payable under clause 5A of the Sugarcane (Control) Order, 1966 and any price paid or payable under any order or enactment of any State government and any price agreed to between the producer and the grower of sugarcane or a sugarcane growers' cooperative society.'

Sir, the amendment is to extend the application of Explanation II inserted under Sub-Section 3C by clause (a) of Section 2 of the Amendment Act of 36 of 2009 beyond the 30th September, 2009 as well.

This is clear that the objective of this Bill is to give more liberal regime to all the concerned State Governments so that they can come forward to pay more price to the sugarcane growers.

Sugar industry in India is well developed and consumer base is more than billions of people. India is the second largest sugar producer in the world. Sir, 45 million sugarcane growers in India are scattered in various States of our country and sugar industry is considered as the second largest agro-based industry in our country. Therefore, the Government is very much eager to make the sugarcane industry vibrant so that not only the industry owners but also the growers, specially the sugarcane growers, who are supposed to earn their livelihood in a desired manner by producing and selling sugarcane, should get an remunerative price.

I would request the hon. Minister to look into another matter. Now, the acreage of sugarcane has been reducing. Not only that sugarcane growers are more prone to selling their produce to the *Gur* manufacturers. The reason often attributed is, that due to delay of payment by the sugar industry, sugar growers are reluctant to produce sugarcane in their own farmland and also to sell their sugarcane to *Gur* manufacturers.

I overwhelmingly support the legislative document which is very tiny in nature. However, it reflects the objectives of the Governments, which is, to give more benefits to the sugar growers of this country.

With these words, I conclude.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): उपाध्यक्ष महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण विधेयक पर मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आवश्यक वस्तु अधिनियम में पिछली बार ही 2009 में संशोधन हुआ था और अभी इस संशोधन की आवश्यकता के संबंध में मंत्री जी ने भी अपनी बात कही, श्री अश्वीर रंजन चौधरी जी ने भी उसको पुष्ट किया। कुल मिलाकर इस संशोधन का जो उद्देश्य बताया गया है, वह एम्बिग्विटी समाप्त करने के लिए है। एक्सप्लेनेशन 2, उसमें किसी प्रकार का भ्रम न रहे, यह उद्देश्य इस संशोधन का है। मैं इस संबंध में एक बात कहना चाहता हूँ कि कुल मिलाकर जो शुगर पॉलिसी है, उसमें एक किनारे पर उपभोक्ता है, एक किनारे पर किसान है और बीच में सरकार तथा चीनी मिलें हैं, जो कुछ भी नीति बन रही है या जिन बातों की घोषणा की जाती है, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि किसानों की समस्या को लेकर बहुत अधिक भ्रम विद्यमान है। अभी पिछले महीनों में जो वक्तव्य कृषि मंत्री जी के आए हैं, उनमें स्पष्ट पता नहीं लगता कि क्या सरकार इस सम्पूर्ण उद्योग पर से नियंत्रण समाप्त करने जा रही है या यह उद्योग वैसा का वैसा रहने वाला है। यदि मैं कोट करूँ तो 6 मई 2010 में हमारे कृषि मंत्री जी का वक्तव्य है:

"The Government has no proposal to decontrol marketing and pricing of sugar; we are not even thinking of it."

यानी यह वक्तव्य माननीय कृषि मंत्री जी का छपा है और उसके बाद जुलाई के अंदर तीन महीने बाद या 2 महीने बाद उनका वक्तव्य है:

"Shri Sharad Pawar announced a reform process in motion, a week after he invited industry-leaders. We will prepare a proposal for sugar sector decontrol in ten days; it will be placed before the Cabinet in 2-3 months."

यानी बिल्कुल जैसे पक्की योजना हो कि डी-कंट्रोल करने जा रहे हैं और उसी प्रकार के लेख, उसी प्रकार की खबरें चाहे वह "एसमा" हो और चाहे वह कोआपरेटिव मिल्स का जो संगठन है, उसके पदाधिकारी हों, बड़ी पूसन्नता जाहिर करते हुए वे अपना मन्तव्य व्यक्त करते हैं कि कृषि मंत्री जी की राय से हम सहमत हैं और हम इसका स्वागत करते हैं। मेरा पहला सवाल यह है कि इस संबंध में जो भ्रम है, उसको सरकार समाप्त करे कि क्या वह इस इंडस्ट्री को डी-कंट्रोल करने जा रही है, क्या इस बारे में विचार-विमर्श हुआ है?

29 जुलाई को इस्मा और दूसरे संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक होनी थी। वह हुई होगी। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं? इसके बारे में सदन को बताया जाए। एक बात और ध्यान में आती है कि सारे निर्णय करते समय गन्ना उत्पादक, जो इस देश में विभिन्न स्थानों पर साढ़े चार करोड़ के लगभग हैं, क्या उनके हितों का ध्यान रखा जाता है? उनकी चिंता रहती है? ऐसा मुझे नहीं लगता है। अब तक सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड है और यह खास तौर से चिंता पैदा करता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग बनाया गया। इसकी जिम्मेदारी है कि किसान के उत्पाद का मूल्य तय करे। मैं इसका उल्लेख कर रहा हूँ कि इसमें सरकारी सदस्यों के अलावा तीन किसान प्रतिनिधि होने आवश्यक हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा और शायद दुख भी होगा कि इन तीन में से एक जगह तो कभी भरी ही नहीं जाती है। अब तक भी एक खाली है और केवल एक व्यक्ति की नियुक्ति हुई है। किसानों के संबंध में मूल्यों का फैसला करने वाले आयोग में किसानों का प्रतिनिधित्व रहता ही नहीं है। इसका परिणाम यह होता है और किसान के मूल्य उत्पाद को लेकर अजीबोगरीब फैसले होते हैं जो किसी भी प्रकार से न्यायपूर्ण नहीं हैं। मैंने पिछली बार भी इस विषय के संबंध में अपने विचार रखे थे जिसमें लाभकारी और उचित मूल्य के बारे में कहा था। एफआरपी की बात कही जाती है, इसका जिक्र हुआ कि यह पहले से बहुत अधिक हो गया है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि वे किस प्रकार इस मूल्य तक पहुंचे हैं? मैंने पिछली बार भी सवाल पूछा था कि इसका ब्रेक अप क्या है? लेकिन वे मुझे बता नहीं पाए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप समाप्त कीजिए क्योंकि अभी और सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : महोदय, मैं अभी तो समाप्त नहीं करूंगा और कम से कम दस मिनट और लूंगा। आप बता दें कि कितनी देर तक बोलना है। आप समय बता दें मैं उतनी देर में समाप्त कर दूंगा। मुझे बीस मिनट का समय बताया गया था, अब आप कहें तो मैं 10-12 मिनट में अपनी बात पूरी कर दूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बोलिए।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : महोदय, गन्ने के मूल्य निर्धारण के बारे में सब जानते हैं कि सरकार ने सात बिंदुओं के बारे में बताया है - गन्ने की उत्पादन लागत, वैकल्पिक फसलों से उत्पादकों को लाभ, कृषि जिनसों के मूल्यों का आम रुझान, उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं की चीनी की उपलब्धता, वह मूल्य जिस पर गन्ने से उत्पादित चीनी इसके निर्माताओं द्वारा बेची जाती है, गन्ने से चीनी की रिकवरी, सह उत्पादन और बाए प्रोडक्ट्स का दाम, जोखिम और लाभ के कारण गन्ना उत्पादकों के लिए उचित मार्जिन। मैं आज भी हैरत में हूँ कि सात बिंदुओं को जोड़ने के पश्चात् स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की संस्तुति के अनुसार 50 प्रतिशत का लाभ जोड़ने के बाद भी गन्ने का मूल्य 129.84 पैसे कैसे आता है? यह कहां पैदा होता है? मैं जिक्र कर रहा हूँ कि संपूर्ण शुगर पॉलिसी में इस बात का बहुत महत्व है कि मूल्य किस प्रकार से निर्धारित किया जा रहा है और इस बात पर सारी बातें निर्भर करती हैं। मेरा कहना है कि इसका कोई आधार नहीं है। मैंने इस बार जवाब मांगा तो मेरे पास पिछली बार की तरह सरकार की तरफ से जवाब आया है। आप इसे सुनें और यही जवाब पिछली बार आया था।

"Nothing relevant could be traced from the sources available with the Parliament Library. The matter is referred to the concerned Ministry and will be supplied as soon as it is received by us. "

ठीक यही उत्तर पिछले वर्ष था। मैं जानना चाहता हूँ कि आप इस आंकड़े तक कैसे आए? इसके बारे में मिनिस्ट्री का यह जवाब था। मेरा कहना है कि वे इसलिए जवाब नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। उन्होंने हिसाब ही नहीं लगाया कि किस प्रकार से यह दाम तय हुआ है। वे इसे खोल ही नहीं सकते क्योंकि इसमें जमीन है, बीज है, सिंचाई है, मजदूरी और बहुत से तत्व हैं। इनको मिलाकर किसी भी तरीके से 129.84 पैसे का दाम, जो इस बार बढ़ाकर थोड़ा सा ज्यादा 139 रुपए किया गया है, यह बैठ ही नहीं सकता। यह मेरी पहली आपत्ति है।

उपाध्यक्ष जी, किसान इस देश का ऐसा बेचारा पिता है, जो पेट काटकर अपने बच्चों का पालन कर रहा है, इस देश की जनता का पालन कर रहा है। लेकिन जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। सब प्रकार से उसे लूटा जाता है। यहां मंहगाई पर चर्चा हुई। सत्ता पक्ष की ओर से माननीय मंत्री जी ने कहा कि मंहगाई इसलिए आती है, क्योंकि हमने समर्थन मूल्य बढ़ाया है, हमने किसान को ज्यादा भुगतान किया है। लेकिन यह बात पूरी तरह से सच नहीं है। थोड़ा बहुत तो उसका असर होता है। यह बात कई बार सदन में आई है, लेकिन मैं आज फिर से उसका उल्लेख करना चाहता हूँ कि कमोडिटी एक्सचेंज में जो वायदा बाजार चलता है, आज उसमें से चीनी बाहर है, उड़द बाहर है, चावल बाहर है, लेकिन इसके बाद भी किसानों के बहुत सारे उत्पादों की इसमें ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग का एक आंकड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले वर्ष कुल मिलाकर 8,03,842 करोड़ रुपये के सौदे हुए और डिलीवरी केवल 2,243 करोड़ रुपये की हुई, जो कुल सौदों का .28 प्रतिशत है। ये जो कमाई होती है, जो दाम बढ़ते हैं, वे किसानों के पास नहीं जा रहे हैं। वे कहीं और जा रहे हैं और इसी प्रकार का षडयंत्र बराबर किसानों के साथ हो रहा है।

महोदय, यदि मैं लेवी चीनी की बात करूँ तो यह कहा जाता है कि उसमें एफआरपी जोड़ा जाता है और एफआरपी के आधार पर लेवी चीनी की कैलकुलेशन होती है और वही पीडीएस में बंटने के लिए जाती है। उसके बारे में मैंने उसका ब्रेक-अप मांगा था और मुझे बुलाकर वह ब्रेक-अप दिया गया। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूँ। चीनी का जो गेट मिल प्राइस होता है, वह पंजाब में कितना है, हरियाणा में कितना है और अन्य प्रदेशों में कितना है और फिर ऑल इंडिया का इन्होंने एक औसत निकालकर दिया है। उसमें बताते हैं, जैसे अभी माननीय सदस्य श्री अधीर रंजन चौधरी कह रहे थे कि उसके अंदर जो लेवी प्राइस तय होता है, उसमें सबसे

पहले गन्ने का मूल्य पे करना होता है। दूसरा कंवर्जन कास्ट यानी चीनी में बदलने की मिल की जो कॉस्ट है, तीसरा उसमें जो कैपिटल लगी है, उसके रिटर्न्स क्या हैं। फिर जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, उनके कारण से आमदनी हो सकती है, उसे घटाया जाता है। इस तरह से कुल मिलाकर एक विवंटन चीनी के ऊपर मिल को जो लागत देनी पड़ती है, उसके हिसाब से यह कुल 357 रुपये आती है। इसका अर्थ यह होता है कि 1407 रुपये का गन्ना यदि मिल में जाता है, 357 रुपये जोड़कर...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अभी-अभी सूचना मिली है, मैं केवल सूचना दे रहा हूं, सदन का समय बर्बाद नहीं करूंगा। आज सुबह इतनी गम्भीर चर्चा होने के बाद आगरा से सूचना प्राप्त हुई है कि कोतवाली एल्मादपुर के अंतर्गत चौकी कुमेशपुर के पास ग्राम चौगान में यमुना एक्सप्रेस वे के लिए जमीन अधिगृहीत करने के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों पर पुलिस द्वारा गोली चलाई जा रही है। जिसमें श्री रामकृष्ण सिकरवार के पुत्र श्री राजू तथा एक अन्य गम्भीर रूप से घायल हो गया है, इन दोनों को पुलिस उठा ले गई है और अभी गोलीबारी संघर्ष जारी है। आज सुबह इतनी महत्वपूर्ण चर्चा होने के बाद मुझे आश्चर्य है कि सरकार द्वारा अब भी जबरदस्ती जमीन हथियाने के लिए करोड़ों रुपये का लेन-देन हो चुका है। इसलिए उसे आज किसानों की जान की परवाह नहीं है, किसी सदन की परवाह नहीं है। आज सुबह हाउस में यह मुद्दा इतने जोर से उठा, लेकिन उसकी भी परवाह नहीं है। आज फिर वहां गोली चल रही है।

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर): इस सूचना का बेसिस क्या है?... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : यह हाईकोर्ट नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट नहीं है, आप बैठिये।... (व्यवधान)

श्री शरद यादव (मधेपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि यह सूचना मेरे पास भी आई है। सरकार को जल्दी जल्दी से इसकी खबर लेनी चाहिए। आप जानते हैं कि इस मुद्दे पर सारे सदन की क्या भावना थी। वहां के हालात क्या हैं? वहां और बेवैनी के कारण कोई बड़ी घटना न हो जाए। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि सरकार वहां से सूचना ले ले और जो सच है वह यहां बता दे तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): उपाध्यक्ष जी, यहां का मामला तो खत्म हो गया, यह तो वहां मामला हो गया., अगर सूचना गलत हुई तब क्या होगा?

उपाध्यक्ष महोदय : इसका जवाब तो मंत्री जी देंगे।

(Interruptions) â€!*

उपाध्यक्ष महोदय : किसी की बात रिकॉर्ड में नहीं जायेगी। आप लोग बैठिये।

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष जी, किसानों पर गोली चल रही है और सरकार कहे कि वह सूचना सही दे रही है या कुछ और दे रही है। सरकार को यह सूचना टेलीफोन पर लेनी चाहिये। सूचना मिलाने पर यहां कहना चाहिये।

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): उपाध्यक्ष जी, माननीय नेता, लोक सभा ने सुबह यही कहा था कि हम सूचना हासिल करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद अगर जरूरत समझी तो सदन के सामने आयेगे। जो बात यहां कही जा रही है, उसके बाद भी मैं यह बात दोहरा सकता हूं क्योंकि जब सदन चल रहा है और एक विषय पर चर्चा हो रही है, उस वक्त अचानक कोई बात यहां कही जा रही है तो मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उसे माना नहीं जाना चाहिये लेकिन मेरी तरफ से यही कहा जा सकता है कि हम इस मामले की तफ़्शील करके वहां से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और अगर जरूरत महसूस की गई तो उसे सदन के सामने लेकर आयेगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अग्रवाल जी, आप अपनी बात कनकलूड कीजिये।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष जी, मैं दो-तीन मिनट के अंदर खत्म कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा था कि गन्ने की लागत 1407 रुपये और उस पर 357 रुपये जोड़कर लेवी चीनी का गेट मिल पर चीनी की लागत 1757 रुपये प्रति विवंटल आती है। मैं यहीं से यह बात कहना चाहता हूं कि यदि गन्ने का मूल्य 250 रुपये प्रति विवंटल किया जाये तो भी 10 प्रतिशत की रिकवरी का हिसाब लगाया गया है। इस हिसाब से चीनी का मूल्य 28.57 रुपये प्रति किलो बनता है और यदि चीनी का मूल्य 40 रुपये किलो (Interruptions) â€!*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहें। श्री अग्रवाल जी के अलावा किसी की बात रिकॉर्ड में नहीं जायेगी।

(Interruptions) â€!*

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठिये। आपस में बातचीत नहीं करिये।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष जी, यदि चीनी का मूल्य 40 रुपये किलो हो तो इस हिसाब से कृषि मंत्रालय की तरफ से जो दिया गया है, गन्ना किसान को 364.30 रुपये प्रति विवंटल गन्ने का दाम मिलना चाहिये। सरकार एमआरपी घोषित करती है लेकिन प्रदेश सरकार पर छोड़ देती है कि वह आगे कुछ किसानों को दे। चूंकि रकबा कम है, गन्ने का उत्पादन कम हुआ है, चीनी मिलें चलानी हैं, इसलिये 250 रुपये या 275 रुपये तक गन्ने का मूल्य किसानों को मिल जाता। लेकिन मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि वे किसानों पर मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। जब 40 रुपये चीनी का दाम है तो गन्ना किसान को 350 रुपये पाने का अधिकार है, यदि उसकी रिकवरी 10 प्रतिशत की है। यह एक प्रकार से पारदर्शिता नहीं है, दाम कैसे तय होते हैं, रिकवरी क्या आ रही है, मिलें क्या कमा रही हैं? लेकिन सारी की सारी गाज उस गरीब किसान पर गिर जाती है जिसका कोई संरक्षक नहीं है।... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करिये।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल: उपाध्यक्ष जी, मैं समाप्त कर रहा हूं। पूरी दुनिया के अंदर पश्चिमी देश हम पर दबाव डालते हैं कि सब्सिडी का क्या किया जाये? किसानों पर सब्सिडी घटानी चाहिये। मैं आपको दो-तीन उदाहरण देकर बताना चाहता हूं कि अमरीका इस बात का बड़ा अलम्बरदार बनता है, उसने पिछले वर्षों के अंदर 38 प्रतिशत से सब्सिडी बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी। जापान ने 68 प्रतिशत से बढ़ाकर 72 प्रतिशत कर दी, कोरिया ने 54 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दी। मैं

इन बातों का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि हम किसानों को सब्सिडी देना तो दूर, हम किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं दे रहे हैं। कृषि मंत्रालय के अंदर हमारी किसानों के प्रति जिम्मेदारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी चीनी मिल हो गये हैं।

जो कुछ भी नीतियां बनें, यह संशोधन तो छोटा है, मैं इस बात को जानता हूँ। यह पास भी हो जायेगा, लेकिन आने की जो एमबिन्विटी है, क्या सरकार डी-कंट्रोल करने जा रही है, क्या सरकार डी-कंट्रोल नहीं करने जा रही है, उस स्थिति में किसानों का क्या होने वाला है? यह जो सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र है, इसकी चिंता कौन करेगा? यदि किसान का गन्ना नहीं बिका तो खेत खाली नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : खेत खाली नहीं होगा तो गेहूँ की पैदावार नहीं होगी। गन्ने का किसान उसे स्टोर नहीं कर सकता है। वह उसे कहां लेकर जायेगा?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : वह उसकी डिस्ट्रेस सेलिंग करेगा। डिस्ट्रेस सेलिंग के अंदर वह बर्बाद होगा। मेरा आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से केवल यह कहना है कि जो कुछ भी नीतियां बनायें, उसके अंदर किसानों का ध्यान रखें, किसानों का ख्याल रखें और किसानों को उसकी पैदावार का उचित मूल्य दें। किसान को सब्सिडी दें, उसे कर्ज की जरूरत नहीं है, उसे अपने पैरों पर खड़ा करने की जरूरत है। इससे निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। मैं इतना ही निवेदन करके अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कोशाम्बी): महोदय, आपने मुझे आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2010 पर बोलने का अवसर प्रदान किया, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। अभी हमारे सम्मानित सदस्य अग्रवाल जी और अधीर रंजन जी ने यहां अपनी बात रखी। यह बात सत्य है कि इस संशोधन विधेयक में हमें सबसे पहले उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करनी पड़ेगी। अभी सत्र चल रहा था और आपने देखा कि महंगाई को लेकर पूरे सदन के हर सम्मानित सदस्य ने अपनी-अपनी बात रखी और यहां चर्चा की। इस वक्त अगर देखा जाये तो आज भी महंगाई बढ़ रही है और कीमतों में बेहताशा वृद्धि पर रोक नहीं लग पा रही है। जहां तक उत्पादकों को उचित और लाभकारी मूल्य देने की बात है, चाहे वह हमारा किसान हो या कोई भी मिलर्स हो, इस पर हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। जो हमारे उत्पादक हैं, चाहे गन्ने के किसान हों या अन्य तमाम आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले लोग हों, चाहे कपास के उत्पादक हों, चाहे जो किसान जिस भी चीज का उत्पादन करता है, उसकी क्या पूंजी लग रही है। उस पूंजी के मुताबिक हमें यह देखना पड़ेगा कि उसे अपने उत्पाद का सही मूल्य मिल पा रहा है या नहीं? इस पर सरकार को गंभीरता से सोचना पड़ेगा, उसे उसकी मेहनत का सही मूल्य मिल रहा है या नहीं, इस पर भी सरकार को गंभीरता से सोचना पड़ेगा। वह जाड़ा, गर्मी, बरसात, धूप में रात-दिन उत्पादन करता है।

महोदय, मैं अभी आंकड़े देख रहा था कि ब्राजील और मैक्सिको में जो चीनी उद्योग लगे हैं, जब से उस पर से सरकारी नियंत्रण हटा है, तब से उद्योगों की भी स्थिति ठीक हुई है और किसानों की भी स्थिति ठीक हुई है। हमें भी इस पर विस्तार से सोचना पड़ेगा। खासकर सरकार को यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि किसान को अपने उत्पाद का सही मूल्य तभी मिल पायेगा जब उसके पास बीज होगा, उर्वरक होगा, कीटनाशक होगा और कम से कम चार परसेंट ब्याज पर किसानों को कर्ज दिया जायेगा। सिंचाई और बिजली की व्यवस्था हमें उनके लिए करनी पड़ेगी तभी जाकर हमारे देश का किसान खुशहाल होगा। बहुत से किसानों के ऐसे मामले हैं, जो कोर्ट में लंबित पड़े हैं। इनका जल्दी से निबटारा किया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से जहां किसानों का मामला है, जहां किसानों की बात है, वहां फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके लंबित मुकदमों का निस्तारण हो ताकि उन्हें सही फायदा मिल सके। चीनी मिलों में किसानों का जो बकाया रहता है, मैं आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार थी, जो हमारे उत्पादक थे, गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर जो बकाया था, उसे सरकार की तरफ से माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उसकी भरपाई की थी। वे बहुत पुराने कम से कम दस साल पुराने मामले थे। आज भी इनका पूरी तरीके से भुगतान नहीं हो पाया है। केंद्र सरकार को चाहिए कि राज्यों से रिपोर्ट लेकर कि कहां-कहां पर किसानों का बकाया है, उसका भुगतान करे। हो सके तो राज्यों को विशेष पैकेज देकर किसानों को आर्थिक दयनीय स्थिति से उबारने के लिए उनका भुगतान किया जाये। बहुत से ऐसे किसान हैं जिनका एक उत्पादन होता है, जब उसे उसका वाजिब मूल्य मिलता है, तब वह दूसरी फसल के लिए तैयारी करता है। समय पर उचित भुगतान मिलने से, लाभकारी मूल्य मिलने से किसान अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। बताया गया है कि 1.350 करोड़ रुपये आज भी बकाया है, उसे सरकार को गंभीरता से लेना पड़ेगा। मैं खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, बहुत से तराई के क्षेत्र भी हैं के किसानों की बात करना चाहूंगा, जहां गन्ने का उत्पादन होता है। उत्तराखंड और अन्य प्रदेश भी गन्ने का उत्पादन करते हैं, दक्षिण में भी इसका उत्पादन होता है।

उत्तर प्रदेश में खून-पसीने से किसान गन्ने का उत्पादन करता है और जब उसे गन्ने का विंटल के हिसाब से वाजिब मूल्य नहीं मिलता है तो गन्ना किसान खड़े खेतों में आग लगाकर उसे नष्ट कर देता है। इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा। आज हम अन्य देशों में निर्यात करने की सोच रहे हैं। यूई में 2010-11 में दस हजार टन चीनी का निर्यात करने जा रही है। हमारे यहां महंगाई है और चीनी पचास रुपये प्रति किलो तक बिकी है। इस पर कंट्रोल करना होगा। यदि हमारे यहां चीनी की कमी है और महंगाई है तो हमें चीनी का निर्यात नहीं करना चाहिए। हमें पहले अपने यहां की व्यवस्था को देखना चाहिए। हमारे कई माननीय सदस्यों ने कहा कि पहले हमें अपने उपभोक्ता के हितों की रक्षा करनी है, उसके बाद हमें निर्यात की बात करनी चाहिए।

महोदय, जहां तक गन्ने के उत्पादन की बात है, हमें चीनी की लागत को भी फिक्स करना होगा। गन्ना उत्पादक, सहकारी समिति मिलों के बीच में क्या सहमति होती है, जैसा अग्रवाल जी ने कहा गन्ना उत्पादक किसान, मिल और उसके बीच में सरकार की, इन तीनों की स्थिति पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा जिससे उपभोक्ताओं को सहायता मिले और गन्ना किसानों को भी उचित मूल्य मिल सके, इस विषय में सरकार को पहल करनी चाहिए।

महोदय, जहां तक गन्ना किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने की बात है, लैवी के कोटे में भी कमी हो सकती है, यह सरकार की तरफ से बयान आया है। मैं चाहूंगा कि इस पर गंभीरता विचार किया जाए।

महोदय, गन्ना किसानों के गन्ने का एमएसपी सरकार अपने पास रखने जा रही है। हमें इस पर भी ध्यान देना होगा। मुझे याद है, डॉ. राम मनोहर लोहिया जी ने " दाम बांधो " नीति की घोषणा की थी। इस नीति से यह होगा कि महंगाई भी नहीं बढ़ेगी, किसानों को उचित लाभकारी मूल्य भी मिलेगा, सरकार का भी उस पर

नियंत्रण रहेगा और जितने भी हमारे उद्योग चल रहे हैं, उनको भी सहायित्व होगी, उनको भी घाटा नहीं होगा। इन तमाम बातों को हमें देखना होगा।

महोदय, सरकार यह कहती है कि चीनी पर सरकारी कंट्रोल नहीं रहेगा। एक तरफ यह बयान आता है कि चीनी को डिक्ट्रोल करने का प्रस्ताव सरकार तैयार कर रही है। इस पर भी गंभीरता से सोचना होगा। चीनी उत्पादन बढ़ाने के लिए गन्ना उत्पादक किसानों को सरकारी मदद देने पर विचार करना होगा। स्वामीनाथन आयोग एवं अन्य आयोगों ने किसानों के हित की बात की थी, किसानों की सहायित्व की बात की थी कि चार प्रतिशत की दर पर कर्ज देकर हम किसानों की माली स्थिति को बेहतर बनाएंगे। दक्षिण भारत में गन्ना, कपास एवं अनाज उत्पादित करने वाले किसानों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार को गंभीरता से विचार करना होगा।

महोदय, जहां तक इस अधिनियम की बात है, आज भी गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है, खास तौर से उत्तर प्रदेश में हर साल एसएपी की घोषणा होती है, जिसके कारण मिल वाले नियम को लेकर असमंजस में है। केन्द्र सरकार को ऐसा नियम लागू करना चाहिए जो सभी राज्य सरकारों की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार लागू होता हो। इन्हीं बातों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और फिर दोहराना चाहूंगा कि किसानों और उपभोक्ता के हितों की रक्षा करते हुए आप कदम उठाएं।

SHRI RUDRAMADHAB RAY (KANDHAMAL): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am very much thankful that you have given me an opportunity to speak on this Bill.

I come from an agricultural family from the State of Orissa. Sugarcane is such a crop that it is called as a "cash crop." In India sugarcane growing is absolutely essential. But the production of sugar is decreasing day-by-day.

15.00 hrs.

The cultivators are not at all in favour of cultivating sugarcane. That is because every year the Government is increasing the Minimum Support Price (MSP), but the thing is that the farmers or the cultivators do not get the actual agricultural devices, viz., irrigation, fertilizers, etc. They are not getting them in such a manner that it will be profitable for them. So, for this sugarcane, we have to think three aspects. i) is production, ii) is manufacturing, and iii) in the delivery side, that it will be cheaper to the consumers. So, these three things should go side by side. Therefore, it is the duty of the Government to devise such a method that this sugarcane should be profitable to the cultivators, should be remunerative to the industrialists and also to deliver to the consumers at a cheaper price. Therefore, we have to look into all these aspects.

Sir, I support this Bill. However, I have a small request that the Government should pay more attention towards the sugarcane growers because there are so many small countries in the world who have increased their financial stability by doing sugarcane. A country like Cuba has gone up very high by doing this. So, why should India not go up? We have all the resources. We have to give more stress on sugarcane production for which the Government should take a positive view in sugarcane industry and sugarcane production. The Government should provide the sugarcane to the consumers at a very cheaper price.

Therefore, with these few words, I support the Bill.

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। जहां यह सराहनीय कदम है, वहीं पर यह कई सवालों का जन्मदाता भी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बार-बार संशोधन किया जाता है, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की स्थिति आती है, निचले स्तर पर मामला जाता है तो जिस नीयत से हम कानून बनाते हैं, वह लागू नहीं हो पाता है। आज चीनी के सवाल पर गन्ना किसान, इतिफाक से मैं जिस जनपद से आता हूँ, जनपद बनने से पहले वहां पर 13 चीनी मिलें थीं, बलिया और देवरिया जनपद उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल है।

उपाध्यक्ष महोदय, हम बड़ी तकनीक से बड़े-बड़े उद्योग लगाते हैं और कहते हैं कि इन उद्योगों के माध्यम से उद्योग तो कमाएंगे ही, किसानों को भी इससे लाभ होगा। पिछले समय में माननीय मंत्री जी का उत्तर आया था कि 129 रुपए 84 पैसे, साढ़े नौ परसेंट की रिकवरी पर और एक परसेंट प्वाइंट रिकवरी देते हुए इसे बढ़ाया गया। हमारे पूर्वांचल में बहुत छोटी तकनीक का एक किसान रहता है, जिसने केशर लगाया हुआ है। वह किसानों से गन्ना लेता है और 220 रुपए से 240 रुपए प्रति विंटल उसे भुगतान करता है। उसके पास तकनीक नहीं है, इसलिए वह चीनी नहीं बना सकता, लेकिन गुड़ बनाता है। आज किसान का चीनी मिलों पर विश्वास उठ गया है, लेकिन केशर वालों पर विश्वास जगा एवं बढ़ा है, इसे आप क्या कहेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय, अगर एक विंटल गन्ने में 9 किलो चीनी पैदा करते हैं और चीनी की प्रति किलो कीमत 30 रुपए भी मानते हैं, तो 270 रुपए तो एक विंटल गन्ने में केवल चीनी से 270 रुपए कमा लिए। उसमें खोइया एवं अन्य उत्पाद जो चीनी बनाने के बाद बचते हैं, उनकी इन्कम नहीं जुड़ी है। केवल चीनी से ही 270 रुपए कमा लिए।

महोदय, सूखे की आफत सहते हुए, बाढ़ की आफत सहते हुए, आम तौर पर पूर्वांचल और देश के विभिन्न हिस्सों के किसान मई के आसपास गन्ने की बुआई करते हैं। वे भयंकर धूप के महीने में बुआई करते हैं और अपना पसीना मिट्टी में बहाकर गन्ना पैदा करते हैं। जब गन्ना पैदा हो जाता है, जब उसे साफ करना होता है,

उसकी कटाई होती है, तब मजदूर की क्या स्थिति होगी? इसको आप समझ सकते हैं। ...(व्यवधान) गन्ना चीनी मिल पर जब वह आता है, तो क्या स्थितियां बन जाती हैं।

आज हमने वर्ष 2010-2011 के लिए 139.12 रूपए प्रति क्विंटल के हिसाब से लाभकारी मूल्य निर्धारित किया है। यह संशोधन आप लाए, इसके लिए आपका स्वागत है। आखिर वह कारण क्या है, जब हमारे देश में तराई का किसान, पूर्वांचल या पूरे देश का किसान उसका प्रतिनिधि, जब इसमें चार अंग जुड़े हुए हैं, एक सरकार है, एक उद्योगपति है, चीनी मिल मालिक है, एक किसान है और इस पर आश्रित मजदूर के साथ उपभोक्ता है, जिसके पास चीनी पहुंचती है। इन सबमें मेल क्यों नहीं किया जाता है? जब गन्ने का उत्पादन करना होता है, तो किसान को कोई सहायता नहीं दी जाती। जब गन्ने का उत्पादन ही नहीं होगा, तो चीनी कहाँ से बनेगी? हमारे देश का किसान जिस गन्ने का उत्पादन करता है, उसी कच्चे माल से जब उद्योगपति या चीनी मिल का मालिक चीनी तैयार करता है, तो उसकी उत्पादन लागत का भार सहने में चीनी मिल मालिक क्यों भागता है? चीनी मिल मालिक उसके उत्पादन भाव को तय करने के समय, जब गन्ने का लागत मूल्य तय होता है, तब गन्ने के किसान की सहभागीदारी क्यों नहीं होती है? जो रॉ मैटेरियल है, उससे तैयार हुए माल से होने वाली आमदनी में भी उसे भागीदार नहीं बनाया जाता है।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would like to thank you very much for giving me this opportunity to speak on this Bill.

At the outset, I would like to say that the objective of this Bill is to clearly definite the FRP. This will help clarify the ambiguity created by an earlier Ordinance. When that Ordinance was promulgated, the FRP was lower than the State Administered Price in many States. The FRP was Rs.127 per quintal. At the same time, the SAP in Uttar Pradesh was Rs.180 per quintal. In Haryana, it was Rs.200 per quintal. So, this Ordinance created such a situation that it violated the federal right of the State Governments to fix the prices. The positive aspect of this amendment is that that right is retained now. So, we welcome this Amendment in that respect.

At the same time, I would like to say that the term "FRP" is misleading because this is neither fair nor remunerative. So, we demand that at least Rs.300 should be fixed as the FRP because this FRP is not considering the increase in the cost of production. The cost of production has increased substantially. So, this FRP is not providing any incentive to the farmers to produce more. That is why, the area under sugarcane cultivation has come down. So, this indicates that this FRP is not fair; neither it is remunerative. It is not providing any incentive to the farmer.

Another aspect is that the mill owners are benefited through by-products of sugarcane like bagasse, molasses etc. But the farmers do not have any such benefits. So, while fixing the FRP, the Government should consider the cost of production, especially the cost of inputs which have increased substantially. Subsequent to the reduction in the fertiliser subsidy in the last Budget, the price of DAP alone has increased by Rs. 2,500 per tonne. On the one side there is such an increase on the price of inputs and on the other side the Government is not providing any subsidy for organic fertilisers. For improving the soil conditions, gypsum and lime etc. are used, but from the side of the Government there is no plan to promote these things and the entire blame for soil degradation is put on the farmers. Therefore, while fixing the FRP and MSP, the Government should take into account the cost of production, especially the increase in the cost of inputs.

I would like to draw the attention of the hon. Minister to the fact that a large percentage of sugar is going to big companies which are producing chocolates and sweets. So, we should find some effective mechanism to benefit the consumers. I would like to stress this aspect as this is important from the point of view of consumers.

Finally, I would like to request the hon. Minister that the Essential Commodities Act has to be amended comprehensively. This is an important weapon to fight inflation, price rise etc. The main reasons for price rise are black marketing and hoarding. So, the Essential Commodities Act is an important weapon at the hands of State Governments to fight black marketing and hoarding. So, the Government should come forward to amend the Essential Commodities Act. Then, more items should be included under the purview of the Essential Commodities Act. I would also request that more items should be distributed through the Public Distribution System.

*SHRI M. ANANDAN (VILUPPURAM): Mr. Deputy Speaker, Sir, I thank you for the opportunity given to me for speaking on the Essential Commodities (Amendment) Bill, 2010.

The Procurement Price for sugarcane is being segregated as Fair and Remunerative Price and State Administered Price to be determined by both the Centre and States. If the SAP is more than the Centre's FRP, the difference shall have to be borne by the States. On 22.10.2009, the Union Food, Public Distribution and Consumer Affairs Ministry announced this. On 30.10.2009, the Cabinet Committee on Economic Affairs decided to enhance the FRP from Rs.1,070.60 to Rs. 1,298.40. This

was announced by the Union Home Minister. Due to this move, a situation has arisen in which the sugar mills need to pay only Rs. 1,298.40 to the sugarcane growers and not the SAP announced by the States. This lingering doubt about the responsibility of the sugar mills towards the payment of differential between FRP and SAP is sought to be cleared through this Bill that has been brought before this House now. According to this, Centre's FRP and States' SAP are to be considered as two different things. Henceforth, it is impending on the State concerned to pay the SAP announced by it.

Here, I would like to recall the move by our leader and the former Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Puratchi Thalaivi Amma Jayalalitha to make the sugar mills take upon themselves to pay the sugarcane cutting (harvesting) charges and the cartage (transportation) charges. The Centre must take note of this and implement the same now.

I would like to draw the attention of the Union Agriculture Minister to the recommendations of the National Commission on Farmers and urge upon him to include production charges, risk factor, marginal profit in the Procurement Price to

* English translation of the speech originally delivered in Tamil

be given to the sugarcane growers. Currently, they have been excluded in the FRP announced by the Centre. Dr. Swaminathan Commission recommended that the agriculturists must get not only the production cost but also an amount equivalent to 50 per cent of the production cost to make the Procurement Price fair and remunerative.

As reiterated by our leader Dr. Puratchi Thalaivi Amma J. Jayalalitha, the General Secretary of our Party, All India Dravida Munnetra Kazhagam, the sugarcane growers of Tamil Nadu must get Rs. 2,000 per tonne and conducive atmosphere for the same must be created by the Centre. The State Government there may also be impressed upon by the Centre to enhance the sugarcane Procurement Price.

While welcoming this Bill, I urge upon the Union Government to ensure that the sugarcane cultivators get really a Fair and Remunerative Price. With these words, I conclude.

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): Thank you Mr. Deputy-Speaker, Sir. I rise to support the Bill. But even then I have some points, and I request the Minister to clarify them.

The existing norm was there in Section 3 of the Principal Act that the procurement of sugar will be based on the Statutory Minimum Price (SMP). In the States, there is one State Advisory Price (SAP). Usually, State Advisory Price is higher than the Statutory Minimum Price. The Supreme Court has ruled that the price of levy sugar should include the additional price as indicated in Section 5A of the Sugarcane Control Order, 1966 – popularly known as the Bhargava formula – and the State Advisory Price set by the State Governments. So there was a contradiction. One was the SMP at the Central level and another was the SAP at the State level. Now the term 'SMP' has gone and the term 'Fair and Remunerative Price (FRP)' has come. But the price fixed is neither fair, nor remunerative. So, this is nothing but a joke of putting such names and such terms in this matter.

So, my question is whether FRP would be really fair and remunerative and would be not less than SAP. It is clear that if SAP is higher than the FRP, then State Government has to pay. So, liabilities will be imposed on the State Governments. Neither fair nor remunerative price would be offered by the Central Government. These sorts of contractions and ambiguity, I think, still exist. The Minister should clear it. Otherwise, how the farmers, the sugarcane growers will be benefited? We have witnessed the huge gathering in the capital during the last Session. More than a lakh sugarcane growers came here and sort of pressure had been mounted. We had had a discussion during that period. So, I think, the Minister during the course of his reply would remove this sort of ambiguity.

My second point is about the levy sugar. Its percentage was raised from 10 to 20 for the current sugar season. The price paid by the Central Government to the mills is based on the SMP earlier and FRP now. Now, the mills are free to sell their remaining sugar in the free market. Is there any control over the mills that they do not increase the price in the open market because it is putting pressure on the customer, the general public?

Now, I am on my last point. The farmers can only sell their produce to the designated sugar mills and not to others. It is

not that they are free to go anywhere to sell their produce. So, how to impose control over the mills is also a point of concern.

Sir, I hope that the hon. Minister would clarify all these points during this reply. With these few words, I support this Bill.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत संक्षिप्त बिल है। एशियन कम्पोजिटी बिल में तीसरे प्वाइंट पर एक स्पष्टीकरण है और एक स्पष्टीकरण दो में भी है। यह स्पष्टीकरण वाला बिल है, कोई नया कानून नहीं है। यह कहा जाता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। लेवी आदि का झंझट है, इसीलिए जो केस हो रहा है, इस बात को साफ करने से वह रुकेगा या सरकार झंझट से बच जाएगी। इस बिल को लैफ्ट पार्टी ने भी सपोर्ट किया है।

इस बिल में तीन पक्ष हैं - एक किसान हैं जो गन्ने का उत्पादन करते हैं और आप किसानों पर जोर-जुल्म देख रहे हैं। देश में किसान कभी प्राकृतिक आपदा से पीड़ित होते हैं, कभी-कभी सरकारी आपदा से पीड़ित होते हैं। वे मारे जा रहे हैं। गन्ने का दाम कम तय हो जाता है। उनका गन्ना नहीं बिकता, उन्हें गन्ना जलाना पड़ता है। ये सारी आपदाएं किसानों पर हैं। चाहे आसमानी आपदा हो, चाहे सुल्तानी आपदा हो, दोनों तरह की आपदाएं किसानों पर हैं, खासकर गन्ना किसानों पर हैं। एक पक्ष गन्ना किसान है। दूसरा पक्ष चीनी मिल है और तीसरा पक्ष आम उपभोक्ता, गांव के लोग जो मीठा खाते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, चीनी डालते या खाते हैं। इसमें सबसे संगठित चीनी मिल मालिक, चीनी लॉबी है। देश में चीनी लॉबी सबसे ज्यादा सशक्त है।

अभी शरद पवार जी यहां नहीं बैठे हुए हैं, दूसरे मंत्री बैठे हुए हैं। वे कहते हैं कि चीनी मिलों के पक्ष में एक वर्ग लॉबींग कर रहा है। देश में चीनी लॉबी सशक्त है। वह जो चाहती है, निर्णय करती है। सबसे कमजोर वर्ग किसान और आम उपभोक्ता है जो असंगठित है।

15.23 hrs.

(Shri Arjun Charan Sethi in the Chair)

चीनी मिल वाले आर्गनाइज्ड सैक्टर का शोषण करवाते हैं। मैं सरकार का हाल का निर्णय बताता हूँ। इसी देश में 65 प्रतिशत लेवी चीनी होती थी जो घटकर 50 प्रतिशत हो गई। जैसे-जैसे चीनी लॉबी सशक्त होती है, लेवी घटती जाती है। वह 20 थी जो घटकर 16 हो गई। मंत्री जी का बयान है कि 16 प्रतिशत करेंगे। चीनी का दाम लेवी और फ्री दो तरह का होता है। लेवी चीनी में एशियन कम्पोजिटी एक्ट के मुताबिक दाम तय किया जाता है जैसे गन्ने की वया कीमत है, उसमें लागत वया है आदि। उतने दाम सरकार देती है जो पीडीएस में जाता है। दूसरे तरह की फ्री चीनी है जिसमें बाजार में 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये तक जितना दाम हो सके।

उधर जितना कोटा फ्री होगा, उतना ज्यादा लूटने की आजादी होगी। 65 फीसदी लेवी थी, मतलब 35 फीसदी बाजार में थी, लेकिन वह घट कर 20 फीसदी हो गयी। सरकार उसे घटाकर 16 फीसदी कर रही है और दाम 13 से 18 रुपये कर दिया गया। यह मंत्री जी का बयान है। मंत्री जी यह काम कर रहे हैं। अब ये स्वीकार करते हैं कि कोई लाबी है। मंत्री जी उस लाबी से वया कहते हैं - उद्योग जगत के अनुकूल गन्ना मूल्य नीति को लेकर विपक्षी दलों के हमलों को झेल रहे ... (व्यवधान) हम इसे खत्म ही कर रहे हैं। खाद्य एवं कृषि मंत्री श्री शरद पवार जी ने कहा कि गन्ना अध्यादेश को पूरी तरह से समाप्त करने से वास्तव में चीनी मिल मालिकों को फायदा पहुंचेगा। अब देखिये कि वह वर्ग वया चाहता है? उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि एक वर्ग गन्ना अध्यादेश को पूरी तरह से वापिस लिये जाने के लिए जोर डाल रहा है जिससे केन्द्र सरकार के खजाने की शर्त पर चीनी मिल को 14 हजार करोड़ रुपये का फायदा होगा। यह सरकार के खजाने से जायेगा। अब मंत्री जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, तो हम लोग कैसे चुप बैठेंगे? 14 हजार करोड़ रुपये किसान के खजाने से लेने के लिए वह वर्ग सक्रिय है। अब मंत्री जी बतायें कि वह कौन सा वर्ग है और कहां है? छद्म भेष में संगठन घूम रहा है कि चीनी मिल मालिकों को 14 हजार करोड़ रुपये का फायदा पहुंचाने और सरकार के खजाने से 14 हजार करोड़ रुपये निकालने की बात है। वह कौन सी लाबी है, उसका पर्दाफाश होना चाहिए। सदन में यह बात साफ होनी चाहिए कि वह लाबी कहां है और कौन सी है जो किसान की पेटकटवा है, उपभोक्ता की लुटेरी है। इस देश में दो काम हो रहे हैं। इसलिए फिर सुनते हैं कि अब चीनी का डी-कंट्रोल होगा। यह तर्क दिया जा रहा है कि डी-कंट्रोल होने से सीमेंट जगत तरक्की कर गया, स्टील जगत तरक्की कर गया इसलिए चीनी को भी डी-कंट्रोल कर दिया जाये। अब चीनी पर वया कंट्रोल है? अब तक 80 फीसदी उसे लूटने की छूट दे दी। 30 रुपये, 40 रुपये और 50 रुपये कर दिया। विदेश भेजने में ज्यादा सहायता न दो और विदेश से मंगाने में उपभोक्ता ही लूटे जायेंगे या किसान लूटे जायेंगे। मंत्री जी बतायें कि किसान के बकाया का भुगतान कब तक होगा? ... (व्यवधान) किसान का सवाल आया, तो आप कन्कलूड करने के लिए कह रहे हैं। ... (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप किसान के लिए बहुत बोल चुके हैं। आपका टाइम बहुत कम है। इसलिए आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

वेऽ। (व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं अपनी बात खत्म ही कर रहा हूँ। मैं प्वाइंट्स बात ही कह रहा हूँ। मैं एक सवाल सरकार से पूछना चाहता हूँ कि तीन सैवशन में किसानों को बचाने के लिए, प्रमोट करने के लिए और आम उपभोक्ता को बचाने के लिए सरकार की कौन सी कार्रवाई होगी? जो लाबी है, उस लाबी से बचाने के लिए सरकार कौन सी कार्रवाई करेगी? किसानों को गन्ना भुगतान के लिए सरकार कौन सी कार्रवाई करेगी? यह बात साफ हो कि डी-कंट्रोल होगा ... (व्यवधान) तो स्टील और सीमेंट कितने रुपये था? ... (व्यवधान)

सभापति महोदय : रघुवंश जी, अब आपकी बात पूरी हो गयी है। आप सब बोल चुके हैं।

वेऽ। (व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : उस समय स्टील और सीमेंट कितने रुपये था? अब कैसे दाम बढ़ रहे हैं? उसी तरह से चीनी वाले को भी छूट देने की सरकार की योजना है। मैं देख रहा हूँ कि इस सरकार की यह प्रवृत्ति है कि कैसे मिल मालिकों को, पूंजीपतियों को, धनपशुओं को सहूलियतें दी जायें और गरीब आदमी, किसान, आम उपभोक्ता पर कैसे हमला हो। यह बात साफ होनी चाहिए कि डी-कंट्रोल का वया प्रस्ताव है और यह कैसे किसान और उपभोक्ता को फायदा देगा?

अंत में, मैं पूछना चाहता हूँ कि बंद चीनी मिलों का क्या होगा? उत्तर प्रदेश और बिहार में जो बंद चीनी मिलें हैं, ... (व्यवधान) रायबरेली और अन्य सभी के बारे में

बतायें कि कितनी चीनी मिलें बंद हैं? अब बंद चीनी मिलों का क्या होगा? ऐसा सुना है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने बिहार में दो चीनी मिलें ली हैं, ...(व्यवधान) वे मिलें कब तक चालू होंगी? ...(व्यवधान) उत्तर प्रदेश सरकार कितने भाव पर चीनी मिलों को बेचेगी? ...(व्यवधान) हम भारत सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं कि किसानों के हित के लिए देश में जो बंद चीनी मिलें हैं ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : किसी भी माननीय सदस्य की कोई बात रिकार्ड में नहीं जायेगी।

...(व्यवधान) *

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : उन बंद चीनी मिलों को चालू करने के लिए सरकार कौन सी कार्रवाई करेगी। इन सभी बातों का सरकार जवाब दे। यह भी स्पष्टीकरण दे कि वर्ष 2009 से भूतलक्ष्मी प्रभाव से साफ कर दिया जाये कि यह केस उसमें लंद-फंड न हो। आप लंद-फंड करेंगे तो केस में संगठित लाबी है, वह बड़ा वकील रखेगा और लंद-फंड करके आपको फंसा देगा। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप समाप्त कीजिए क्योंकि समय बहुत लिमिटेड है।

वे।(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : हमें सरकार दो सैवशन के प्रोटेक्शन का वचन दे। जो संगठित समूह है, उसके खिलाफ असंगठित किसान और उपभोक्ता ...(व्यवधान) हमारा अंतिम सवाल है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : रघुवंश जी, अब आप कन्कलूड कीजिए। आप बहुत सीनियर मੈम्बर हैं। टाइम बहुत कम है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : एक वाक्य से ज्यादा नहीं बोलूंगा।

ज्ञानचंद कमीशन कितने रुपया बढ़ने से हुआ था? चीनी का दाम उपभोक्ता पर कितने रुपये बढ़ा था, जब ज्ञानचंद कमीशन बैठा था? ज्ञानचंद कमीशन की क्या फाइण्डिंग थी? उस पर क्या कार्रवाई हुई? ...(व्यवधान) ज्ञानचंद कमीशन की बात पर बैठना चाहिए या नहीं, चीनी का आज दाम बढ़ रहा है। ...(व्यवधान) इसलिए इन सभी बातों के जवाब दिए जाएं।

*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT): Hon. Chairman Sir, we all know that if the Government has good intentions and will, then much can be achieved; otherwise nothing is possible. Already policies of liberalization, disinvestments and PPP have been adopted by the Government due to which people are suffering. Big, well-to-do industrialists invest huge sums of money in the sugar industries and therefore I doubt whether their interests will ever go down in the priority list.

There is still an ambiguity in this Essential Commodities (Amendment) Bill, 2010 which needs to be removed. Hon. Minister earlier had indirectly hinted at decontrol of sugar. Here also we find such indications of decontrol – this is an alarming proposition. Already 80% of the sugar which is produced is not under the Government control. The remaining 20% which is supplied to the ordinary people of the country is of extremely poor quality but they will be deprived of that sugar also. Moreover, the sugarcane growers are actually losing on all counts. They toil hard in the fields under harsh sunlight everyday and try to produce good quality cane. Investment in cane production is extremely high but the poor farmers never get good returns; they do not get adequate price for their produce. Therefore, the Government should intervene and bail out the hapless farmers. The labour cost and the transportation cost must be paid to them so that the cane growers do not incur losses. The Government must bring all parties together – the sugarcane farmers, sugar mill owners and the Government must sit together to solve the problems faced by the concerned people. If that is done then the price of sugar will not shoot through the roof. Today people are shelling out Rs 40 or Rs 50 for a kilogram of sugar – that price will definitely come down if proper measures are

*English translation of the speech originally delivered in Bengali.

adopted. But I don't think that the Government is very keen on doing anything worthwhile. As Mr Raghuvansh Prasad Singh mentioned, the rich industrialists are making huge profits, almost to the tune of Rs 14,000 crore per year while the farmers and ordinary people are suffering. The cost of the byproducts obtained from sugar industry should also be taken into account by the Government. I have seen that in my area the jaggery manufacturers pay more for sugarcane but the sugar manufacturers pay much less. This is a huge loss to the small businessmen. The jaggery producers are generally small entrepreneurs. So it is not possible for them to pay more. But the sugar producers are mostly wealthy industrialists who can easily pay what is asked for. They accrue thousands of crores of rupees from this industry. So their interests should not

top the priority list of the Government. We have lakhs of sugarcane growers who are the worst sufferers. The Government should take care of them first which in turn will result in lowering of retail prices of sugar that will actually benefit the poor consumers. Thus I urge upon the Minister to keep these in mind and formulate policies accordingly. Which these few words, I thank you and conclude my speech.

श्री राजू शेटी (हातकंगले): सभापति महोदय, मैं दो बिंदुओं की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। शूगर मिल मालिकों ने संगठित होकर अपनी लेवी की चीनी के दाम बढ़ा दिए और अपने व्यापार में वृद्धि कर ली। लेकिन जो गन्ना उत्पादक किसान हैं, उन्हें इसका कोई लाभ नहीं मिला। माननीय सदस्य राजेन्द्र अग्रवाल जी ने इस सम्बन्ध में काफी अच्छी बातें कही थीं इसलिए मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। शूगर मिल मालिकों ने एफआरपी का केलकुलेशन करके लेवी शूगर के दाम बढ़ा दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ गन्ना उत्पादक किसान को उसका लागत मूल्य भी नहीं मिल पाता है और उसकी निरंतर अनदेखी की जाती है। कृषि लागत मूल्य आयोग ने जो इस सम्बन्ध में सुझाव दिए थे, उनकी भी अनदेखी की जाती है। केवल शूगर मिल मालिकों के हिसाब से ही एफआरपी तय होता है इसलिए यह गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों के साथ अन्याय है। आज उन किसानों को अपने उत्पाद के लागत मूल्य से भी कम दाम मिल रहा है, लाभ की तो बात ही छोड़ दें।

जो चीनी फ्री मार्केट में बेची जाती है, उसकी कंवर्शन कॉस्ट कितनी है, इसका हिसाब लगाकर आपको किसान के उत्पादन का दाम तय करना चाहिए, लेकिन उसकी भी अनदेखी की जाती है। इस तरह से देखा जाए तो शूगर मिल मालिकों को संरक्षण देकर एफआरपी और लेवी शूगर का दाम तय किया जाता है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि उसी तरह से गन्ना पैदा करने वाले किसानों को भी सही लागत मूल्य निकालकर उनके उत्पाद का दाम मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, यह सच्चाई है।

कृषि लागत मूल्य आयोग को संवैधानिक अधिकार देने की आवश्यकता है, क्योंकि उसके सुझावों को कोई पूछता नहीं है। जो कृषि मंत्रालय के मन में आता है, उसी तरीके से एफआरपी तय होता है। फ्री मार्केट में जो चीनी बेची जाती है, उसमें गन्ना पैदा करने वाले किसानों का भी शेयर होना चाहिए कि लाभ में इतना हिस्सा उन्हें मिलेगा। लेकिन आज देखा जाए तो उन्हें वह पैसा मांगने का अधिकार नहीं है। हमने यह अधिकार गंवा दिया है, क्योंकि शूगर कंट्रोल एक्ट की धारा 5 ए उसमें से निकाल दी गई है। मेरी सरकार से मांग है कि यह धारा 5 ए रिस्टोर करने की आवश्यकता है। कोई बायो प्रोडक्ट हो या चीनी हो, अगर फ्री मार्केट में वह जिस दाम पर बेची जाए तो उसके हिसाब से किसानों को पैसा देना चाहिए।

चीनी मिल मालिकों को दो साल से लेवी का डिफरेंस मिल रहा है, लेकिन गन्ना पैदा करने वाले किसानों ने जो गन्ना शूगर मिल्स को दिया था, उसका जो डिफरेंस है, वह नहीं मिल रहा है। मैं मंत्री जी से विनती करना चाहता हूँ कि यह पैसा इन किसानों को तुरंत दिलाया जाए।

DR. TARUN MANDAL (JAYNAGAR) : Mr. Chairman, Sir, this Bill is intended for getting fair and remunerative price, particularly starting from the growers to the manufacturers and to the distributors. But I find that there is no guarantee for the consumers to get sugar at a fair and particularly cheaper price. In our country, where more than 50 per cent of people live below the poverty line, sugar is going beyond their reach and already the price of it in the market is beyond Rs. 40 a kilo. Children who need medicines and baby foods etc. to sustain their lives are the worst sufferers due to the high price of sugar.

Sir, I particularly believe that the Essential Commodities Act should apply not only for sugar but for other food items also to ensure the availability of food items at a cheaper rate to a majority of our population. But, it is very sad to say that after 63 years of Independence these essential items like rice, wheat, sugar, oilseeds etc. are not being available to a majority of our population.

We listen very often about rotting of wheat, rice and even sugar etc. in the storehouses of FCI. At a time when there is shortage of many items, including sugar, in the country itself, we see that many essential items are exported. I sometimes wonder whether I am living in free India or in British India!

There was a huge discussion over here regarding reduction of price hike of all essential items in the beginning of this Session, but we do not see any impact of that discussion in the market. For that reason, I particularly believe that the hoarders and the black-marketeers of essential items are mainly responsible for this. We see sometimes the Central Government saying that it is the responsibility of the respective State Government to take action against them, but the State Governments are saying that the Rules and Act are not stringent enough to give punishment to them. It is a pity. I believe that it is the responsibility of both the sides. If the contention of the Essential Commodities Act or any amendment thereto is to give real relief to the people, then the Government must look into it.

It is also the duty of the Government to see that our sugarcane growers get real remunerative price because cost of supply of all the agricultural essentials have increased. But in this particular Bill, more stress and importance has been given to the manufacturers who can be most benefited by this amendment to the Essential Commodities Act. My submission is that

more stress should be given to the sugarcane growers and availability of sugar to the consumers. I would also like the majority of the population to be protected by the Central Government.

PROF. K.V. THOMAS: Sir, I am thankful to the hon. Members who have participated in the discussion on this important amendment. This is a simple amendment which clears some legal ambiguity. At the same time, certain valuable questions have been asked by hon. Members.

One question was asked about the functioning of Commission for Agriculture Cost and Prices, CACP. CACP is an independent organisation where representatives of the farmers are there and all stakeholders are included. It consults everybody connected with agricultural products and pricing. They give a price.

Another question which has been asked is how pricing is done under FRP System. Determination of FRP is done by considering some of the major aspects. One is cost of production of sugarcane. The next is return to the growers from alternative crops and the general trend of prices of agricultural commodities. The third one is availability of sugar to the consumers at a fair price. This legislation is mainly connected with the levy sugar, which is now 20 per cent. The price and other mechanisms of non-levy sugar are decided by the market. We have nothing to do with it. It depends on market forces. The fourth aspect is the price at which sugar produced from sugarcane is sold by sugar producers. The next is recovery of sugar from sugarcane and realization made from sale of byproducts – that is one question asked – like molasses, bagasse, press-mud etc. All these aspects are considered.

Before introducing this FRP, we have got the data, there was SMP. In 2001-02, the SMP was Rs. 62.05 per quintal. Now, when compared to the FRP which was introduced in 2009-10, it is Rs. 129.84. It has gone up. In 2010-11, it is going to be Rs. 139. At the same time, the States have been given full powers to fix a price according to the conditions in the States, that is, non-levy sugar.

Another question that has been asked is about the sugar control and decontrol. The policy of the Government of India is to balance the interest of the farmers, industry and the consumers. This is our policy. If there is going to be any framing or changes in the policy, definitely, this House will be taken into confidence. We will not do anything secretly. There will be adequate consideration given for it.

Another question asked is about the export of sugar. There are certain international obligations. What is earmarked is 10,000 MT and this was recommended by the Department of Commerce based on the international obligations. Whatever we export, there will be import of equivalent quantity of raw sugar. This is the policy that we have adopted.

Another question is about the burden on the State Governments to pay any amount to the farmers on account of difference between SAP and FRP. No longer that burden exists, and we have taken care of this. We have taken care of all the interests of the farmers, industry and the consumers.

This Amendment Bill has been brought only with a limited purpose, that is, to clear the legal ambiguity that has arisen because of the Amendment we made last time.

With these words, I would request the august House to support this Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the bill further to amend the Essential Commodities Act, 1955, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Act 10 of 1955

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That clause 2 do stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the long Title were added to the Bill.

PROF. K.V. THOMAS: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.
